

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर पीठासीन अधिकारी - रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

1. बलजीत सिंह पुत्र श्री सन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. सर्वजीत सिंह पुत्र श्री सन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

..... वादीगण

ब नाम

1. राजप्रीत कौर पुत्री श्री सन्ता सिंह पत्नी श्री गुरवरिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. मलकीत कौर पत्नी सन्ता सिंह जाति जटसिख सा0 3 सी छोटी, श्रीगंगानगर
3. शाखा प्रबन्धक, एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड, शाखा जवाहर नगर, श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

..... प्रतिवादीगण

वाद पत्र संख्या 66/2025

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम



प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा, श्री रोबिन गुम्बर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 एवं पैरोकार राज प्रतिवादीगण-4 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि -

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती मलकीत कौर के नाम से दर्ज भूमि वाके चक 2 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 25/46 का मुरब्बा नम्बर 10 की कुल 0.417 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 0.139 हैक्टेयर कृषि भूमि व इसी चक 2 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 30/46 का मुरब्बा नम्बर 1, 15, 16 व 21 की कुल 10.618 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 3539/10618 हिस्सा यानि 3.539 हैक्टेयर कृषि भूमि व इसी चक 2 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 31/19 का मुरब्बा नम्बर 10 व 16 की कुल 3.916 हैक्टेयर नहरी बाराणी कृषि भूमि में से 1305/3916 हिस्सा यानि 1.305 कृषि भूमि व इसी चक 2 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 83/65 का मुरब्बा नम्बर 15 व 16 की कुल 1.720 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 0.5733 हैक्टेयर कृषि भूमि व इसी चक 3 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 108/75 का मुरब्बा नम्बर 14 की कुल 6.200 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/5 हिस्सा + 1/5 हिस्सा यानि 2.480 हैक्टेयर कृषि भूमि व इसी चक 3 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 86/59 का मुरब्बा नम्बर 6, 7, 8, 18, 19, 35 व 36 की कुल 19.263 हैक्टेयर नहरी बाराणी कृषि भूमि में से 127/19263 हिस्सा यानि 0.127


खण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

हैक्टियर कृषि भूमि, कुल 8.1633 हैक्टियर कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 राजप्रीत कौर के नाम से दर्ज भूमि वाके चक 3 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 108/75 का मुख्या नम्बर 14 की कुल 6.200 हैक्टियर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/5 हिस्सा यानि 1.240 हैक्टियर कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 9.4033 हैक्टियर कृषि भूमि का वादी संख्या 1 बलजीत सिंह पुत्र श्री सन्ता सिंह व वादी संख्या 2 सर्वजीत सिंह पुत्र श्री सन्ता सिंह को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 राजप्रीत कौर व प्रतिवादी संख्या 2 मलकीत कौर का नाम कलमजन कर उक्त रकबा वादीगण के नाम से दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

वाद व्यय रूपये ...शून्यवास्ते...शून्य.खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय व्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्यआज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

यह डिक्री आज दिनांक 25.06.25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर

वादीगण	राशि (00.00)	प्रतिवादीगण	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00